संख्या- 202 /2026 / 2073 /चार-2026-1982050

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक: 25 अगस्त, 2026**

विषय :- जनपद-रायबरेली में राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में सभागार/पुस्तकालय आदि संरचना के द्वितीय चरण के कार्य कराये जाने हेतु संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1353/सं0नि0-6(47)/2023-24 दिनांक 17 अगस्त, 2026 व पत्र संख्या- 1022/सं0नि0-6(47)/2023-24 दिनांक 23 जुलाई, 2026 तथा परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-8, लखनऊ के पत्र संख्या-694/पी०सी०एल०/ परि०प्र०/ पू०-8/ संस्कृति विभाग, दिनांक 04 अगस्त, 2026 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 137/2024/549-चार-2024 दिनांक 15.03.2024 द्वारा जनपद रायबरेली में राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में सभागार आदि संरचना के द्वितीय चरण के कार्य कराये जाने हेतु रू0 2309.09 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष अब तक रू0 1200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली में राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में सभागार/ पुस्तकालय आदि संरचना के द्वितीय चरण के कार्य कराये जाने हेतु **टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 2288.94 लाख (जी0एस0टी0 सहित)** की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मद में उपलब्ध धनराशि **रू0 600.00 लाख (रूपये छ: करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) थर्ड पार्टी ऑडिट का व्यय स्वीकृत लागत में समाहित होता है, तद्नुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) शासनादेश संख्या- 137/2024/549-चार-2024 दिनांक 15.03.2024, शासनादेश संख्या- 14 /2026/ 3366 /चार-2025-1982050 दिनांक 12 जनवरी, 2026 तथा शासनादेश संख्या- 117 /2026 / 901 (1) /चार-2026-1982050 दिनांक 29 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी से अब तक हुए कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 6,00,00,000/- (रुपये छः करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000300 प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या- 202 /2026 / 2073 (1) /चार-2026-1982050 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-8, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।